

गुरुदाससिंग नावूसिंग पंजवानी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

(2006 की सिविल अपील सं. 5102)

नवंबर 06,2015

[न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल और सी. नागप्पन]

महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966- धारायें 11, 257- और 259- धारा 257 के तहत दूसरा पुनरीक्षण- राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया- रखरखाव- अभिनिर्धारित: संहिता के प्रावधानों से पता चलता है कि राज्य सरकार राजस्व मामलों में सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है- राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन हैं- पुनरीक्षण का निर्णय लेने में राज्य का क्षेत्राधिकार अन्य राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है- भले ही राजस्व प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाता है, राज्य सरकार अपने पुनरीक्षण के साथ-साथ अधीक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही के किसी भी अभिलेख को मांग सकती है और धारा 257 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वैधता और औचित्य पर विचार कर सकती है- संहिता किसी वरिष्ठ अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा दूसरी बार पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग पर रोक नहीं लगाती है- वर्तमान मामले में, दूसरे पुनरीक्षण पर विचार करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि राजस्व मामलों में राज्य सरकार सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है। संहिता की

धारा 257 में प्रयुक्त भाषा और शब्दों से पता चलता है कि पुनरीक्षण का निर्णय लेने में राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार अन्य राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। इसलिए भले ही एक पक्ष पुनरीक्षण के लिए आयुक्त के पास जाता है, फिर भी राज्य सरकार से पुनरीक्षण के लिए धारा 257 के तहत संपर्क किया जा सकता है। आयुक्त सहित किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की शक्ति एक अधीनस्थ अधिकारी की कार्यवाही है और राज्य सरकार राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण में पारित आदेश सहित किसी भी निर्णय की वैधता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकती है। [परिच्छेद 22 और 27] [536-सी; 539-एफ-एच; 540-ए]

2. इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार स्वयं संहिता की योजना के तहत आयुक्त सहित राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करती है और सभी राजस्व अधिकारी संहिता की धारा 11 के अनुसार राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, और यहां तक कि मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी भी अपने प्रभाग में भू-राजस्व से जुड़े सभी मामलों में आयुक्त के पास निहित है, वे राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन हैं जैसा कि संहिता की धारा 5 के तहत प्रावधानित है। संहिता की धारा 259 द्वारा राज्य सरकार की शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही निर्णय को अंतिम माना जाए, अधीनस्थ अधिकारियों के अभिलेख और कार्यवाही को मंगाने और जांच करने की राज्य सरकार की शक्ति सुरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार अपने पुनरीक्षण के साथ-साथ अधीक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही के किसी भी अभिलेख को मांग सकती है और संहिता की धारा 247 या 257 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वैधता और औचित्य पर विचार कर सकती है। [परिच्छेद 28, 29] [540-ए-सी, एफ-सी]

3. संहिता में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि इन पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग क्षेत्राधिकार वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है तो इसे आगे किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 257 और 259 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यदि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग ऐसा करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो आगे की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। [परिच्छेद 30] [540-एच; 541-ए-बी]

ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2005 (1) एससीआर 96: (2005) 2 एससीसी 334- पर भरोसा किया गया।

4. इसलिए वर्तमान मामले में राज्य सरकार के संबंधित मंत्री राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य को संतुष्ट करने के लिए दूसरे पुनरीक्षण पर विचार कर सकते हैं। [परिच्छेद 32] [542-बी]

#### निर्णय विधि संदर्भ

2005 (1) एससीआर 96                      परिच्छेद 31                      पर भरोसा किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5102/2006

अपील संख्या 55/2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांक 13.7.2005 के निर्णय और आदेश से।

हुजेफ़ा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, रवीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिरीष के. देशपांडे. रोहन शर्मा, सुश्री बीना गुप्ता, अभय आनंद जेना, रंजीत राऊत, निशांत रमाकांतराव कफनेश्वरकर, सुधांशु एस चौधरी, सिद्धार्थ भटनागर, सिद्धार्थ मोहन, सुश्री गरिमा तिवारी, (श्रीमान के लिए निर्निमेश दुबे,) अधिवक्तागण उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति एम. वाई. इकबाल द्वारा

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.7.2005 के विरुद्ध निर्देशित है। विद्वान एकल न्यायाधीश, के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा लेटर पेटेंट अपील को खारिज करना, जिन्होंने उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया और दिनांक 18 अक्टूबर 2002 की आर.टी.एस. 3402/ प्रा.क्र.309/ एल-6 कार्यवाही में राजस्व राज्य मंत्री द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की।

2. अपीलकर्ता का मामला यह है कि उनके पिता श्री नावूसिंह पंजुमल पंजवानी एक विस्थापित व्यक्ति थे जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत चले आए थे और अपीलकर्ता के परिवार के पास पाकिस्तान में 4 एकड़ 10 गुंठा कृषि भूमि थी। प्रवास के बाद परिवार ने महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी के शरणार्थी शिविर में शरण ली। भारत संघ द्वारा विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधिनियमन के मद्देनजर, पाकिस्तान चले गए मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया और उसे विस्थापित व्यक्तियों को "मुआवजा कुंड" के रूप में वितरित किया गया। तदनुसार, अपीलकर्ता के पिता को ग्राम लोनावाला, तालुका मवई, जिला पुणे में स्थित राजस्व सर्वेक्षण संख्या 351 और 118/2 वाली 2 एकड़ 5 गुंठा भूमि आवंटित की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि सर्वे क्रमांक 118/1 और 118/2 एक ही चीज हैं।

3. संक्षेप में तथ्य, जैसा कि आक्षेपित आदेश में बताया गया है, यह है कि लोनावाला के सर्वेक्षण संख्या 118, 328 और 351 मूल रूप से हाजी हबीब तार मोहम्मद जानू के स्वामित्व में थे। उक्त हाजी हबीब तार मोहम्मद जानू पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाते समय उन्होंने 4.6.1949 को अपनी संपत्ति श्रीमती हाजराबी हाजी

यूसुफ को बेच दी। हालाँकि इस लेन-देन को निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम की धारा 8(i) के अनुसार 17.4.1949 को समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक द्वारा रद्द कर दिया गया था और इन भूमियों को तदनुसार 26.10.1949 को तहसीलदार, मवई द्वारा निष्क्रांत संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सर्वेक्षण नंबरों को भी सी.टी.एस. संख्या 129, 130-ए, 130-बी और 133 दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सीटीएस संख्या 129, 130-ए, 130-बी और 133 में खाली जमीन के अलावा बंगला संख्या 52-हबीब विला है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय निपटान आयुक्त ने इस संपत्ति को सरकारी नीलामीकर्ता के माध्यम से नीलामी के लिए रखा था और एक गुलाबबाई देसाई ने नीलामी में उक्त संपत्ति को 17.5.1956 को 16,750/- रुपये में खरीदा था और तदनुसार क्षेत्रीय निपटान आयुक्त, बॉम्बे द्वारा सरकार की ओर से बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त विक्रय प्रमाण पत्र में सी.टी.एस. ग्राम लोनावरा के संख्या 129, 130-ए, 130- बी एवं 133 का उल्लेख किया गया।

इस सीटीएस संख्या का क्षेत्रफल इस प्रकार था:

129- 55.16 वर्ग मीटर

130 ए-1651.1 वर्ग मीटर

130 बी- 2934.02 वर्ग मीटर

133- 3237.00 वर्ग मीटर

कुल 7897.21 वर्ग मीटर

4. उक्त विक्रय प्रमाण पत्र के आधार पर गांव के अभिलेख में नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 1836 को गुलाबाई देसाई के पक्ष में प्रभावी किया गया था, और इस तरह उनका नाम ग्राम लोनावाला के सर्वेक्षण संख्या 118/1 बैंड 328 में क्रमशः 29.30 एरेस और 70 एरेस की सीमा तक दर्ज किया गया था। इसके बाद गुलाबाई ने 24.4.1977 को

सीटीएस संख्या 133 की माप 33 गुंठा प्रत्यर्थी संख्या 3 जेनु कडू को बेच दी। उक्त गुलाबाई ने इस सर्वेक्षण संख्या से अपना शेष क्षेत्र भी 15.1.1979 को अपने पोते अनिल गजानन देसाई को उपहार में दे दिया, जिन्होंने बदले में वर्ष 1980 में प्रत्यर्थी संख्या 2- प्रेम हस्मतराज लालवानी को अपनी संपत्ति बेच दी।

5. सर्वेक्षण संख्या 118/2 और 351, निष्क्रांत संपत्ति होने के नाते, अपीलकर्ता को वर्ष 1956 में आवंटित किए गए थे। बाद में यह पाया गया कि अपीलकर्ता के पास अधिक क्षेत्र है और इसलिए उक्त आदेश को 6.5.1982 को संशोधित किया गया और अपीलकर्ता को 31,360/- रुपये के भुगतान पर अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान किया गया जिसे अपीलकर्ता ने 17.5.1982 को सरकारी खजाने में भुगतान कर दिया था और इस तरह उप समाहर्ता और सहायक निपटान आयुक्त, पुणे ने अपीलकर्ता को अतिरिक्त भूमि दे दी और उसके बाद पक्षकारों के बीच विवाद शुरू हो गया।

6. आक्षेपित आदेश में खण्ड पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि पक्षकारों के बीच विवाद क्षेत्र के संबंध में था, गुलाबाई देसाई द्वारा नीलामी बिक्री में क्या खरीदा गया है और उप समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्तियों के उप संरक्षक के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है, अपीलकर्ता ने पीठ से अनुरोध किया कि वह इस एलपीए में इस प्रश्न पर गुणदोष में प्रवेश न करें क्योंकि पक्षकार ऐसे न्यायनिर्णयन के लिए सिविल न्यायालय में अपने उपचारों पर मुकदमा चला सकते हैं और इसलिए उस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। हालाँकि परस्पर विरोधी दावों के तथ्यों में, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी गुलाबाई और अन्य प्रत्यर्थियों के पक्ष में किए गए नामान्तरण के संबंध में उप समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्तियों के उप संरक्षक को शिकायत की और इसलिए उप समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्तियों के उप संरक्षक ने दिनांक 18.9.1984 के आदेश द्वारा हवेली, उपखण्ड , पुणे के उपखण्ड अधिकारी को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत मामले में पुनरीक्षण करने और

आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के मद्देनजर उपखण्ड अधिकारी, हवेली, उपखण्ड, पुणे ने आरटीएस पुनरीक्षण 1984 के 14 की कार्यवाही शुरू की और दिनांक 30.7.1985 के आदेश द्वारा नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 1836 को रद्द कर दिया जिसमें 7897 वर्ग गज की भूमि शामिल है और आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार अभिलेख में आवश्यक सुधार निर्देशित किये।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश प्रत्यर्थी द्वारा अपील में लिया गया था और मामला उपखण्ड अधिकारी को भेज दिया गया था। प्रतिप्रेषण के बाद उपखण्ड अधिकारी ने पूछताछ कर दिनांक 29.10.1987 को पुनः आदेश पारित कर पूर्व आदेश की पुष्टि की। अतः आरटीएस अपील क्रमांक 128/1987 समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण अपर समाहर्ता द्वारा दिनांक 13.7.1993 को कर दिया गया। उक्त आदेश से तृतीय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश कायम रहता है। हालाँकि, एसडीओ (उपखण्ड अधिकारी) के निर्देशानुसार आगे की जांच की जानी थी। चूँकि उपरोक्त आदेश द्वारा नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 1836 को रद्द कर दिया गया था, तलाथी ने इन आदेशों को प्रभावी किया और नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2176 को प्रभावी किया और विवादित संपत्तियों को समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्तियों के उप संरक्षक के नाम पर दिखाया। उप समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्तियों के उप संरक्षक के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को संपत्ति के कब्जे में रखने के लिए समाहर्ता द्वारा तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए थे। हालाँकि उन आदेशों को प्रभावी करने के बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारियों ने दो नामान्तरण किये अर्थात् नामान्तरण संख्या 2377 और 2394 । नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2377 द्वारा प्रत्यर्थी का नाम फिर से अभिलेख में बदल दिया गया और इसके द्वारा नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2394 में जेनु कडू का नाम अभिलेख में परिवर्तित किया गया था। चूँकि समाहर्ता ने शिकायत पर पाया कि समाहर्ता के आदेशों को अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया

है तो समाहर्ता ने आदेश दिनांक 12.7.1999 द्वारा एसडीओ (उपखण्ड अधिकारी) को इन नामान्तरण अर्थात् नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2377 और 2394 को पुनरीक्षण में लेने का निर्देश दिया और इसलिए उपखण्ड अधिकारी, मावल उपखण्ड ने इन नामान्तरणों को 1999 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 12 वाले पुनरीक्षण में लिया है। उक्त पुनरीक्षण का निर्णय उपखण्ड अधिकारी मावल द्वारा दिनांक 28.1.2000 को लिया गया तथा उन नामान्तरणों को निरस्त कर दिया गया।

8. उक्त पुनरीक्षण में पारित आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 लालवानी ने 2000 की आरटीएस अपील संख्या 81 को प्राथमिकता दी और प्रत्यर्थी संख्या 3 जेनु कडू ने 2000 की आरटीएस अपील संख्या 114 को प्राथमिकता दी। इन दोनों आरटीएस अपीलों की सुनवाई अतिरिक्त समाहर्ता, पुणे द्वारा की गई और दिनांक 28.5.2001 के आदेश द्वारा अतिरिक्त समाहर्ता, पुणे ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया और उपखण्ड अधिकारी, मावल के आदेश की पुष्टि की। अतिरिक्त समाहर्ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अतिरिक्त आयुक्त, पुणे खण्ड, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 257 के तहत 2001 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 330 को प्राथमिकता दी। उक्त पुनरीक्षण का निर्णय अतिरिक्त आयुक्त, पुणे द्वारा दिनांक 22.11.2001 के आदेश द्वारा किया गया और उक्त पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया।

9. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने राज्य के राजस्व मंत्री के समक्ष द्वितीय पुनरीक्षण के माध्यम से कार्यवाही आरटीएस 3402/प्र.क्रा.309/एल-6 दायर करके अतिरिक्त आयुक्त के इस आदेश को चुनौती दी और उक्त कार्यवाही का निर्णय दिनांक 18.10.2002 को राज्य के मंत्री द्वारा किया गया। राजस्व मंत्री ने उक्त कार्यवाही की अनुमति दी और उपखण्ड अधिकारी, मावल द्वारा दिनांक 28.1.2000 के, अतिरिक्त समाहर्ता, पुणे के दिनांक 28.5.2001 के और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 22.11.2001 को पारित आदेशों को रद्द कर दिया और इस प्रकार स्थिति बहाल कर दी, जैसा कि नामान्तरण

प्रविष्टियाँ संख्या 1836 और 2377 और 2394 में दर्शाया गया है। इस प्रकार उत्तरदाताओं के पक्ष में सभी प्रविष्टियाँ राज्य के राजस्व मंत्री के आदेश द्वारा संरक्षित और बनाए रखी गईं।

10. अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर करके मंत्री द्वारा पारित दिनांक 19.10.2002 के आदेश को चुनौती दी, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की जिसे खण्ड पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब राजस्व राज्य मंत्री ने मामले पर विचार किया तो उन्हें महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत क्षेत्राधिकार प्राप्त था और इसलिए उसके द्वारा पारित किया गया आदेश उक्त प्राधिकार के तहत उसके क्षेत्राधिकार, शक्ति और क्षमता के अंतर्गत है। खण्ड पीठ ने इस प्रकार कहा:

"... हम अपना निष्कर्ष दर्ज करते हैं कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत एक से अधिक पुनरीक्षण संभव है। अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 1836 वास्तव में प्रमाणित थी। हालाँकि उप-खण्ड अधिकारी ने उक्त नामान्तरण को आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 1984 के पुनरीक्षण में ले लिया है और आदेश दिनांक 30.7.1985 द्वारा नामान्तरण को रद्द कर दिया है। जिस आदेश को प्रतिप्रेषित किया गया था उसके विरुद्ध अपील की गई। 29.10.1987 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस पर पुनः निर्णय लिया गया और उक्त नामान्तरण को रद्द कर दिया गया। 1987 की आरटीएस अपील संख्या 128 थी जिसका निर्णय 13.7.1993 को किया गया था। इन आदेशों के मद्देनजर नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 1836 को रद्द कर दिया गया और नामान्तरण प्रविष्टि क्रमांक 2116 को प्रभावी किया गया, जिससे समाहर्ता और निष्क्रांत संपत्ति के उप

समाहर्ता का नाम 7 x 12 उद्धरणों में दर्ज किया गया। आगे यह पाया गया कि जब याचिकाकर्ता को कब्जा देने के निर्देश देने वाले समाहर्ता के आदेशों का अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने पालन नहीं किया और राजस्व अधिकारियों ने नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2377 को प्रत्यर्थी संख्या 3 गुलाबाई देसाई के पक्ष में और नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2394 को प्रत्यर्थी संख्या 5 जेनु कडु के पक्ष में प्रभावित किया और उसके बाद दूसरी बार विशेष खण्ड अधिकारी, मावल ने धारा 257 के तहत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया है और नामान्तरण प्रविष्टि संख्या 2377 और 2394 के संबंध में 1999 के आरटीएस पुनरीक्षण 12 की कार्यवाही शुरू की है। आरटीएस पुनरीक्षण 12/99 को 28.1.2000 को अनुमति दी गई थी जबकि इसके विपरीत दो आरटीएस अपील, 2000 की आरटीएस अपील संख्या 81 और 2000 की आरटीएस अपील संख्या 114 को प्रत्यर्थी द्वारा प्राथमिकता दी गई थी। इनका निर्णय 28.5.2001 को हुआ। इसके विपरीत 2001 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 330 को प्राथमिकता दी गई। वही बर्खास्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध आरटीएस कार्यवाही संख्या 3402/प्रा.क्रा.309/एल-6 को राज्य मंत्री के सामने प्राथमिकता दी गई। इन सभी कार्यवाहियों से पता चलेगा कि उप-खण्ड अधिकारी ने दो बार समाहर्ता के निर्देश पर धारा 257 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है अर्थात् 1984 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 14 और 1999 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 12। इससे यह भी पता चलेगा कि धारा 247 और 249 उपधारा 2 के प्रावधानों के मद्देनजर पक्षकारों द्वारा 1984 के आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 14 के खिलाफ अपील की

गई थी। यह समान रूप से दिखाई देगा कि जब धारा 257 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष 1999 के पुनरीक्षण आवेदन संख्या 12 में आदेश पारित किए गए थे तो पक्षकारों ने धारा 247 और 249 उप धारा 2 के प्रावधानों के मद्देनजर दो आरटीएस अपीलें की थीं। इतना ही नहीं, उसके बाद 2001 के आरटीएस पुनरीक्षण आवेदन संख्या 330 को भी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यदि यह माना जाता है कि उन परिस्थितियों में दूसरा पुनरीक्षण मान्य नहीं है क्योंकि आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 12 1999 में पारित पहला आदेश एक पुनरीक्षण आदेश है तो आयुक्त के समक्ष यह दूसरा पुनरीक्षण 2001 का आरटीएस पुनरीक्षण संख्या 330 मान्य नहीं होता। हालाँकि, 2001 का उक्त पुनरीक्षण आरटीएस 330 मान्य है क्योंकि धारा 247 और 249 के तहत प्रदान की गई अपील उप-खण्ड अधिकारी और आयुक्त द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेशों के बीच हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार, संक्षेप में, हम पाते हैं कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत योजना काफी अलग योजना है और यह एक से अधिक पुनरीक्षण की अनुमति देती है। इस प्रकार, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर हम पाते हैं कि जब राजस्व राज्य मंत्री ने इस मामले पर विचार किया तो राजस्व राज्य मंत्री के पास महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत क्षेत्राधिकार था और इसलिए उक्त प्राधिकरण के तहत उनके द्वारा पारित आदेश उनके क्षेत्राधिकार, शक्ति और क्षमता में है।"

11. अतः विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुजेफ़ा अहमदी ने मुख्य रूप से महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत क्षेत्राधिकार के कथित अभ्यास में संबंधित मंत्री द्वारा प्रयोग की गई पुनरीक्षण शक्ति पर हमला किया। विकल्प में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही यह बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाए कि दूसरा पुनरीक्षण कायम है, पुनरीक्षण प्राधिकारी होने के नाते मंत्री को सभी छह राजस्व प्राधिकरणों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। सांबप्पा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2002) एससीसी ऑन लाइन, बॉम्बे 1222] के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब उप-खण्ड अधिकारी, अतिरिक्त समाहर्ता और अतिरिक्त आयुक्त ने, अपीलकर्ता के पक्ष में यह देखते हुए कि राजस्व अभिलेख तथ्यात्मक पहलू के अनुरूप नहीं है, समवर्ती रूप से निष्कर्ष दर्ज किया था और उन्होंने राजस्व प्रविष्टियों को सही करने का निर्देश दिया है, ऐसे मामले में, दूसरे पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उक्त आवेदन पर विचार करने और तथ्य की खोज में हस्तक्षेप करने में अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया है। धारा 257 यह स्पष्ट करती है कि एक पुनरीक्षण प्राधिकारी को केवल निर्णय की वैधता और औचित्य पर विचार करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए हमें यह समझाने की कोशिश की कि जब पुनरीक्षण की शक्ति जिला न्यायाधीश को दी गई है तो उच्च न्यायालय संहिता की धारा 115 के तहत दूसरी पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने केरल राज्य बनाम के. एम. चारिया अब्दुल्ला एंड कंपनी एआईआर 1965 एससी 1585 और हरि शंकर बनाम राव गिरधारी लाल चौधरी, एआईआर 1963 एससी 698 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि मामले की योग्यता में प्रवेश न करें और प्रश्न तक ही सीमित रखें कि क्या दूसरा पुनरीक्षण हरिशंकर का मामला (सुप्रा), (1962) पूरक (1) एससीआर 933, हीरालाल कपूर बनाम प्रभु चौधरी, (1988) 2 एससीसी172 और हेल्पर गिरधरभाई बनाम सैय्यद मोहम्मद मीरासाहेब कादरी और अन्य, (1987) 3 एससीसी 538 में अनुपात के आलोक में बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य था। विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान धर्मपाल बनाम रामश्री, (1993) 1 एससीसी 435 में इस न्यायालय के फैसले की ओर भी आकर्षित किया जहां इस न्यायालय ने माना था कि द. प्र. सं. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में दूसरे पुनरीक्षण की अनुमति दी गई थी।

14. अंत में श्री अहमदी ने प्रस्तुत किया कि दूसरा पुनरीक्षण राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत नहीं होगा क्योंकि संहिता की धारा 259 राज्य सरकार को धारा 257 के प्रावधानों के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल किसी भी "अंतिम आदेश" को सही करने का अवसर प्रदान करती है अर्थात् इसकी वैधानिकता एवं औचित्य के संबंध में।

15. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवींद्र श्रीवास्तव ने शुरू में ही कहा कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर लिया है कि वह मामले की योग्यता पर निर्णय नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया एकमात्र मुद्दा राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत राज्य सरकार के समक्ष दूसरे पुनरीक्षण की स्थिरता के संबंध में था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 257 स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है जो शक्ति नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त पद में बराबर नहीं हैं बल्कि राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार सर्वोच्च राजस्व

प्राधिकारी हैं और एक पीड़ित पक्ष के लिए एक से अधिक अपील या पुनरीक्षण का अस्तित्व किसी भी कानूनी सिद्धांत के लिए घृणित नहीं है; कानून पर निर्भर करता है। श्री श्रीवास्तव ने तब तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने राजस्व मामलों में न्यायिक समीक्षा की तुलना में संहिता की योजना का सही विश्लेषण किया और उसकी सराहना की। विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रस्ताव के लिए ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2005) 2 एससीसी 334 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी भरोसा जताया कि कानून के समान प्रावधान के तहत दूसरा पुनरीक्षण हो सकता है।

16. एकमात्र प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या धारा 257 के तहत दूसरा पुनरीक्षण विचारणीय है और क्या राज्य सरकार दूसरे पुनरीक्षण पर विचार करने में अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ती है?

17. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें, हम महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे।

18. धारा 2(31) राजस्व अधिकारी को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"2 (31) " राजस्व अधिकारी" का अर्थ है इस संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत नियुक्त और भू-राजस्व या सर्वेक्षण, मूल्यांकन, खातों या उससे जुड़े अभिलेख के व्यवसाय में या उसके आसपास कार्यरत किसी भी पद का प्रत्येक अधिकारी;"

19. अध्याय II राजस्व अधिकारियों, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 5, 6 और 7 इस प्रकार हैं:

"5. राजस्व मामलों में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी अपने संभाग में भू-राजस्व से जुड़े सभी मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी राज्य

सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन आयुक्त में निहित होगा।

6. संभाग में राजस्व अधिकारी राज्य सरकार प्रत्येक संभाग के लिए एक आयुक्त नियुक्त करेगी; और आयुक्त की सहायता के लिए एक संभाग में एक अतिरिक्त आयुक्त और उतने ही सहायक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जो समीचीन हों:

बशर्ते, इस धारा की कोई भी बात दो या दो से अधिक संभागों के लिए आयुक्त के रूप में एक ही अधिकारी की नियुक्ति को नहीं रोकेगी।

7. जिले में राजस्व अधिकारी (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले (बॉम्बे शहर सहित) के लिए एक समाहर्ता नियुक्त करेगी जो वहां के राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा; और प्रत्येक तालुका के लिए एक तहसीलदार नियुक्त करेगा जो एक तालुका के स्थानीय राजस्व प्रशासन के साथ सौंपा गया मुख्य अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार, एक या अधिक अतिरिक्त समाहर्ताओं और प्रत्येक जिले में (बॉम्बे शहर सहित) और इतने सारे सहायक समाहर्ता और उप समाहर्ता ("प्रथम", "द्वितीय", सुपर संख्यात्मक" आदि जैसे पदनामों के साथ) सहायक जैसा कि उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यक्त किया जा सकता है) एक तालुका में एक या एक से अधिक नायब-तहसीलदार और उसमें एक या एक से अधिक अतिरिक्त तहसीलदार या नायब-तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति (ऐसे पदनाम वाले) जैसा कि यह समीचीन समझा जा सकता है, की नियुक्त कर सकती है।

(3) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन, समाहर्ता किसी सहायक या उप समाहर्ता को जिले के एक और उप-विभाग का प्रभारी बना सकता है या स्वयं उसका प्रभार रख सकता है। ऐसे सहायक या उप- समाहर्ता को उप-खण्ड अधिकारी भी कहा जा सकता है।

(4) समाहर्ता प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जितने वह सर्कल के प्रभारी के रूप में सर्कल अधिकारी और सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में उचित समझे और एक साजा के लिए एक या अधिक तलाथिस और प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह के लिए एक या अधिक कोतवाल या अन्य ग्राम सेवकों को नियुक्त कर सकता है जैसा वह उचित समझे।"

20. संहिता की धारा 11 नीचे उद्धृत करने योग्य है:-.

"11.अधिकारियों की अधीनस्थता

(1) सभी राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे।

(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे एक संभाग के सभी राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और सभी राजस्व अधिकारी 2 [एक जिले (बॉम्बे शहर सहित)] के समाहर्ता के अधीनस्थ होंगे।

3) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, सर्वेक्षण अधिकारियों सहित अन्य सभी राजस्व अधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित क्रम में, एक को दूसरे के अधीन कर दिया जाएगा।"

21. धारा 13 और 14 सभी राजस्व अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है ।

22. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार राजस्व मामलों में आयुक्त और मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी सहित राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करती है। धारा 5 यह स्पष्ट करती है कि अपने संभाग में भू-राजस्व से जुड़े सभी मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशों और नियंत्रण के अधीन आयुक्त के पास होगा। धारा 11 में प्रावधान है कि सभी राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीन होंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि राजस्व मामलों में राज्य सरकार सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है।

23. वर्तमान मामले में हमने अपीलों, पुनरीक्षण और समीक्षा की सुनवाई और निपटान के मामलों में संहिता की योजना पर ध्यान दिया। धारा 247 अपील और अपीलीय प्राधिकारियों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

"247. अपील और अपीलीय प्राधिकारी

(1) इस संहिता के किसी स्पष्ट प्रावधान या तत्समय लागू किसी विधि के अभाव में इस संहिता की अनुसूची ई कॉलम 1 या उस अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट अधिकारी के लिए उस समय लागू होती किसी अन्य विधि के तहत निर्दिष्ट राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है भले ही ऐसा निर्णय या आदेश उक्त अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश के निर्णय से अपील पर पारित किया गया हो या नहीं।

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में अपीलों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(2) जब पदनाम में परिवर्तन को बढ़ावा देने के कारण, किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील इस धारा के तहत उसी अधिकारी के समक्ष की जाती है जिसने निर्णय या आदेश पारित किया है जिसके खिलाफ अपील की गई है, तो अपील ऐसे अन्य अधिकारी के पास होगी जो निर्णय लेने में सक्षम हो अपील करें कि इस संहिता के प्रावधानों के तहत इसे किसको हस्तांतरित किया जा सकता है।"

24. धारा 248 भी सुसंगत है जो राज्य सरकार को अपील का मंच प्रदान करती है। इसी प्रकार, धारा 249 पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है।

25. धारा 227 में दी गई अनुसूची में उन प्राधिकारियों का उल्लेख है जिनके समक्ष अपील की जाएगी। संहिता के साथ संलग्न अनुसूची इस प्रकार है:

#### अनुसूची ई

(धारा 247 देखें)

| क्रम | राजस्व अधिकारी                                       | अपीलीय प्राधिकरण   |
|------|--|--|
| 1    | 1., एक उप-खण्ड के सभी अधिकारी, या उप-खण्ड के अधीनस्थ | उप-खण्ड अधिकारी या ऐसे सहायक या उप-समाहर्ता जो इस संबंध में समाहर्ता द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।                 |
| 2    | उप-खण्ड अधिकारी, सहायक या उप समाहर्ता ।              | समाहर्ता या ऐसे सहायक या उप समाहर्ता जिन्हें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा समाहर्ता की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | समाहर्ता 1 (बॉम्बे के समाहर्ता सहित) या सहायक/ उप समाहर्ता को समाहर्ता की अपीलीय शक्ति प्राप्त है। | संभागीय आयुक्त।   |
| 4 | धारा 2(15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति।                                    | ऐसा अधिकारी जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। |

| क्रम | राजस्व अधिकारी  | अपीलीय प्राधिकरण   |
|------|---|--|
| 1    | जिला भू-अभिलेख निरीक्षक, सर्वेक्षण तहसीलदार और अन्य अधिकारी जो जिला भू-अभिलेख निरीक्षक के पद से ऊपर न हों.. | भूमि अभिलेख अधीक्षक या समान पद के ऐसे अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।                           |
| 2    | भूमि अभिलेख अधीक्षक और समान पद के अन्य अधिकारी।   | भूमि अभिलेख निदेशक या भूमि अभिलेख उप निदेशक, जिन्हें इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेख निदेशक की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। |

26. धारा 257 प्रासंगिक प्रावधान है जो राज्य सरकार और कुछ राजस्व और सर्वेक्षण अधिकारियों की अधीनस्थ अधिकारियों के रिकॉर्ड और कार्यवाही को मंगाने और उनकी जांच करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 257 इस प्रकार है:

"257. राज्य सरकार और कुछ राजस्व और सर्वेक्षण अधिकारियों की अधीनस्थ अधिकारियों के अभिलेख और कार्यवाहियों को मंगाने और उनकी जांच करने की शक्ति ।

(1) राज्य सरकार और उनके संबंधित विभागों में सहायक या उप-समाहर्ता या भूमि अभिलेख अधीक्षक से कम पद के नहीं होने वाला कोई भी राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी किसी भी अधीनस्थ राजस्व या सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी की कार्यवाही की नियमितता के बारे में, जैसा भी मामला हो, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी जांच या किसी की कार्यवाही के अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है।

(2) एक तहसीलदार, एक नायब-तहसीलदार, और एक जिला भूमि अभिलेख निरीक्षक उसी तरीके से किसी भी मामले में अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी की कार्यवाही की मांग और जांच कर सकते हैं जिसमें न तो औपचारिक और न ही संक्षिप्त जांच हुई है।

(3) यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार, या उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को यह प्रतीत होगा कि किसी भी निर्णय या आदेश या कार्यवाही को उपांतरित किया जाना

चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए या उलट दिया जाए, तो वह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

बशर्ते कि राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार के किसी भी प्रश्न को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश को ऐसे आदेश के समर्थन में इच्छुक पक्षकारों को उपस्थित होने और सुने जाने के बिना नहीं बदलेगा या नहीं उलटेगा।

बशर्ते कि, उप समाहर्ता का सहायक किसी ऐसे मामले में स्वयं ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिसमें औपचारिक जांच हुई हो, बल्कि अपनी राय के साथ अभिलेख समाहर्ता को प्रस्तुत करेगा जो उस पर ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे।"

27. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि प्रावधान राज्य सरकार के लिए 'और' शब्द का उपयोग करता है लेकिन अन्य राजस्व अधिकारियों के लिए यह 'या' शब्द का उपयोग करता है। उक्त प्रावधान में प्रयुक्त भाषा और शब्दों से पता चलता है कि पुनरीक्षण का निर्णय लेने में राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार अन्य राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। इसलिए भले ही एक पक्षकार पुनरीक्षण के लिए आयुक्त के पास जाता है फिर भी राज्य सरकार से पुनरीक्षण के लिए धारा 257 के तहत संपर्क किया जा सकता है। आयुक्त सहित किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की शक्ति एक अधीनस्थ अधिकारी की कार्यवाही है और राज्य सरकार राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण में पारित आदेश सहित किसी भी निर्णय की वैधता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकती है।

28. इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार स्वयं संहिता की योजना के तहत आयुक्त सहित राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करती है

और सभी राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, और यहां तक कि मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी भी अपने प्रभाग में भू-राजस्व से जुड़े सभी मामलों में आयुक्त के पास निहित हैं, वे संहिता की धारा 5 के तहत प्रावधानित किए गए अनुसार राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन हैं। राज्य सरकार की शक्ति को संहिता की धारा 259 द्वारा और अधिक विस्तारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"259. स्पष्ट रूप से अंतिम बनाए गए निर्णयों या आदेशों के नियम

जब भी इस संहिता में यह प्रावधान किया जाता है कि कोई निर्णय या आदेश अंतिम या निर्णायक होगा तो ऐसे प्रावधान का मतलब यह होगा कि ऐसे किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती; लेकिन धारा 257 के प्रावधान के तहत ऐसे किसी भी निर्णय या आदेश को उपांतरित करना, रद्द करना या उलटना अकेले राज्य सरकार के लिए वैध होगा।"

29. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यदि निर्णय को अंतिम मान भी लिया जाए तो भी अधीनस्थ अधिकारियों के अभिलेख एवं कार्यवाही को मंगाने एवं जांचने की राज्य सरकार की शक्ति सुरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार अपने पुनरीक्षण के साथ-साथ अधीक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही के किसी भी अभिलेख को मांग सकती है और संहिता की धारा 247 या 257 के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वैधता और औचित्य पर विचार कर सकती है।

30. धारा 257 सहित संहिता की संपूर्ण योजना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण शक्तियां न केवल राज्य सरकार द्वारा बल्कि कुछ अन्य राजस्व

अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं। संहिता में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि इन पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग क्षेत्राधिकार वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है तो इसे आगे किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 257 और 259 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यदि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग ऐसा करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है तो आगे की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग वरिष्ठ अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

31. इसी तरह का प्रश्न राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के तहत ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (2005) 2 एससीसी 334 के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उस अधिनियम में धारा 128 द्वारा राज्य सरकार और रजिस्ट्रार को अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी की किसी भी जांच या किसी अन्य मामले की कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने और जांच करने की शक्ति, ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से , प्रदान की गई थी। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि धारा 128 दो प्राधिकरणों यानी राज्य सरकार और रजिस्ट्रार से संबंधित है। वस्तुतः दोनों सत्ताएँ विनिमेय हैं। यदि एक प्राधिकारी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करता है तो दूसरा प्राधिकारी तार्किक रूप से ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि दूसरा पुनरीक्षण सुनवाई योग्य नहीं था। इस दलील को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

"20. धारा 124 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि यदि निर्णय या आदेश रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है तो अपील सरकार के समक्ष की जा सकती है और यदि निर्णय या आदेश किसी अन्य व्यक्ति, या सहकारी समिति द्वारा किया जाता है तो अपील रजिस्ट्रार के समक्ष की

जा सकती है। इसलिए अध्याय XIII के तहत राज्य सरकार और रजिस्ट्रार के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। परीक्षण यह है कि क्या समवर्ती पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वाले दो प्राधिकरण पद में समान हैं। इसलिए जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह सही नहीं है कि दोनों प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार और रजिस्ट्रार विनिमेय हैं। धारा 128 के संदर्भ में सरकार और रजिस्ट्रार की शक्ति उन मामलों को बाहर करती है जो धारा 125 के अंतर्गत आते हैं अर्थात् अधिकरण द्वारा पुनरीक्षण।"

32. संहिता की संपूर्ण योजना और धारा 257 और 259 में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए हमारी निश्चित राय है कि राज्य सरकार के संबंधित मंत्री राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता और औचित्य को संतुष्ट करने के लिए दूसरे पुनरीक्षण पर विचार कर सकते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की है और आक्षेपित आदेश पारित किया है कि धारा 257 राज्य सरकार को अपील या पुनरीक्षण में किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं मिली। इसलिए इस अपील का कोई औचित्य नहीं है जो तदनुसार बर्खास्त है।

33. आदेश से अलग होने से पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मामले की योग्यता में प्रवेश न करें क्योंकि पक्षकार निर्णय के लिए सिविल न्यायालय में अपने उपचारों पर मुकदमा चला सकता है, हमने पक्षों के मामले की योग्यता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। पक्षकार कानून के अनुसार सिविल न्यायालय में अपने उपचार पर मुकदमा चला सकते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता एन. एन. शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।